संख्या:53/2017/45 भा0स0/छप्पन-2017-108 क्यू/81

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी/नैनीताल/चमोली/पिथौरागढ/

टिहरी गढवाल/देहरादून/बागेश्वर (उत्तराखण्ड) एवं

बरेली/झांसी (उत्तर प्रदेश)

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2017

विषय : वर्ष 2017 में सेना आपूर्ति कोर के डिपोज से उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के विमानों/हेलीकाप्टरों के लिए विमानन ईंधन (ए0टी0एफ0) की आपूर्ति व्यवस्था जारी रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-71208/क्यू/एसटी-9/यू0पी0/उत्तराखण्ड गर्वनमेन्ट/डी (क्यू0एस0), दिनांक 27 जून, 2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड सरकारों के विमानों/हेलीकॉप्टरों के लिए सेना आपूर्ति कोर के निम्नलिखित केन्द्रों से भुगतान निर्गमन दरों पर भुगतान के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के लिए विमानन टरबाईन ईंधन (ए0टी0एफ0) की आपूर्ति करने की स्वीकृति संसूचित की गयी है:-

1- आपूर्ति बिन्दु- उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड
2- आपूर्ति बिन्दु- हलद्वानी, उत्तराखण्ड
3- आपूर्ति बिन्दु- जोशीमठ, उत्तराखण्ड
4- आपूर्ति बिन्दु- धारचूला, उत्तराखण्ड
5- आपूर्ति बिन्दु- हर्षिल, उत्तराखण्ड
6- आपूर्ति बिन्दु- देहरादून, उत्तराखण्ड
7- आपूर्ति बिन्दु- पिथौरागढ, उत्तराखण्ड
8- आपूर्ति बिन्दु- कौसानी, उत्तराखण्ड
9- आपूर्ति बिन्दु- बरेली, उत्तराखण्ड
10- आपूर्ति बिन्दु- झांसी, उत्तराखण्ड

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया विमानन टरबाईन ईंधन की आपूर्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 27 जून, 2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के प्रस्तर-3 के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश यथासमय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश के विमानों/हेलीकॉप्टरों के लिए आपूर्ति के प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी किये जायेंगे। इसी प्रकार उत्तराखण्ड सरकार के विमान/हेलीकाप्टर के सम्बन्ध में उक्त राज्य सरकार उत्तराखण्ड के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या:53/2017/45 भा0सा0(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त संदर्भगत आदेश दिनांक 27 जून, 2017 की छायाप्रति सहित निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के उक्त संदर्भगत पत्र दिनांक 27 जून, 2017 के प्रस्तर-3 के अनुरूप सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों/हेलीकाप्टरों के लिए अपेक्षित ए0टी0एफ0 की आपूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या:53/2017/45 भा0सा0(2)/छप्पन-2017-तद्दिनांक।

(1) प्रतिलिपि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भगत पत्र दिनांक 27 जून, 2017 की प्रति सहित सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
(3) अनु सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
(4) प्रतिलिपि अपर स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, एन0बी0सी0 प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति बिहार, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in